पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 14.06.2024

दिनांक 13/14.06.2024 को थाना काकोरी 01, मोहनलालगंज 03, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

सट्टा खेलते समय गिरफ्तार।

थाना सआदतगंज-दिनांक 13.06.2024 को उ0नि0 श्री हैप्पी दिवारकर थाना सआदतगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01- मो0 आरिफ पुत्र मो0 रशीद निवासी 369/199 बीबीगंज थाना सआदतंगज लखनऊ उम्र 29 वर्ष को आपस में सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान बीबीगंज चिकमण्डी से गिरफ्तार किया गया,जिसके कब्जे से 10 अदद सट्टा पर्ची व 1130/-रु0 रूपये नगद बरामद कर थाना सआदतगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना बाजारखाला-दिनांक 13.06.2024 को उ0नि0 श्री शैलेष तिवारी थाना बाजारखाला द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-राजेश कुमार साहू उर्फ सोनू गलजला पुत्र स्व0 सुन्दरलाल साहू निवासी- 346/164 मेहंदीगंज- निकट इंदारे वाली मस्जिद थाना- बाजारखाला, लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष को आपस में सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान बारादरी के पास कच्ची कालोनी बाजारखाला लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद मोबाईल फोन व 700/-रु0 रूपये नगद बरामद कर थाना बाजारखाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना आलमबाग- दिनांक 14.06.2024 को थाना आलमबाग द्वारा बताया गया कि वादी श्री अवनीश कुमार सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह पता 557/480, ओमनगर आलमबाग लखनऊ ने थाना आलमबाग पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 03.06.2024 को सपरिवार वैष्णो देवी व हरिद्वार दर्शन करने गए थे तथा दिनांक 11.06.2024 को रात्रि समय करीब 11.30 बजे घर पहुंचे तो घर की दरवाजा का ताला टूटा हुआ था तथा पूरे घर का सामान अस्त-व्यस्त था अलमारियों के भी ताले टूटे थे और घर पर रखे सोने व चांदी के कीमती जेवरात व 57,000/-रूपये नगद को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना आलमबाग पर मु0अ0सं0- 108/2024 धारा- 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना चिनहट- दिनांक 14.06.2024 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल ने थाना स्थानीय पर एक किता मेमो इस आशय से भेजा कि दिनांक 13.06.2024 को समय करीब 10.46 बजे रात्रि अमित कुमार उम्र करीब 34 वर्ष पुत्र संता प्रसाद निवासी मटियारी चिनहट को मृत अवस्था में इस चिकित्सालय में लाया गया। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री मुकेश पाल मो0नं0- 8318670448 थाना चिनहट द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि अमित कुमार उम्र करीब 34 वर्ष उपरोक्त द्वारा उक्त आवास के कमरे में छत के पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया। मृतक भवन निर्माण में ठेकेदारी का काम करता था एवं मृतक के 03 बच्चे है।

थाना कृष्णानगर/आलमबाग- दिनांक 14.06.2024 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि लोक बंधु अस्पताल ने थाना स्थानीय पर एक किता मेमो इस आशय से भेजा कि दिनांक 13.06.2024 को समय करीब 11.30 बजे रात्रि रिषभ उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र स्व0 जगभान निवासी आदर्शनगर थाना आलमबाग लखनऊ को मृत अवस्था में इस चिकित्सालय में लाया गया। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री आशीष बालियान मो0नं0- 8923565374 थाना कृष्णानगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** थाना आलमबाग द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.06.2024 को रिषभ उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र स्व0 जगभान निवासी किराए का मकान आदर्शनगर थाना आलमबाग लखनऊ मूल पता खण्डी जनपद ललितपुर द्वारा अपने किराए के कमरे में छत के पंखे से कपडे का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया। मृतक ऐरा मेडिकल कालेज में बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी (BRIT) कोर्स की पढाई करता था।

थाना इन्दिरानगर- दिनांक 14.06.2024 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री सम्हारू प्रसाद पुत्र स्व0 भरोसा निवासी ग्राम मोहम्मपुर मजरा निकट ऋषि इण्टरनेशनल स्कूल भारत गैस गोदाम के पीछे थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना इन्दिरानगर पर सूचना दिया कि दिनाँक 12/06/2024 को समय 10:44 AM पर वादी के मो.न. पर वाट्सप कॉल न. 923164150375 से आई जो थाना कैंट दिल्ली से थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने वादी को फोन पर कहा कि वादी का लड़का रेप केस में पकड़ा गया है, उधर से रोते हुए पापा-2 की आवाज आई और उसने बताया कि मुझे बहुत मारे है फिर उक्त व्यक्ति ने स्वयं को पुलिस वाला बताते हुए कहा कि आप के लड़के के खिलाफ FIR न हो उसके बदले मुझे 80,000/- रूपये फोन-पे या गूगल-पे से भेजिये जिससे वादी काफी डर गये और वादी ने अपनी पुत्री के फोन न. से पांच बार में (20000,20000,15000,20000,5000) मो.न. 6282933913 पर रूपये ट्रांसफर किया गया जिसका ट्रॉजेक्शन का स्क्रीन शॉट एक अन्य मो.न. 9540172792 पर भेजा गया। उसी दौरान वादी की अपने पुत्र से बात हो गई तो वह सुरक्षित था। तब वादी को पता चला कि वादी के साथ 80,000/-रूपये का फ्रॉड हो गया है। **इस सूचना पर थाना इन्दिरानगर पर मु0अ0सं0- 157/2024 धारा- 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**